सर्वोच्च प्राथमिकता/महत्वपूर्ण

संख्या-02/2022/539/90-सं0शि0प0का0/2022-02(सं0शि0)/2015

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
2- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।
3- समस्त मण्डलायुक्त/ समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग **लखनऊ: दिनांक-14 जून, 2022**

विषय: मा0 संसद सदस्य एवं राज्य विधान मण्डल के मा0 सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत ही हैं कि मा0 संसद सदस्यों एवं राज्य विधान मण्डल के मा0 सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग के विभिन्न शासनादेशों द्वारा निर्देश दिये गये हैं। इस संबंध में अंतिम बार शासनादेश संख्या-06/2021/365/90-सं0शि0प0का0/2021-02(सं0शि0)/2015 दिनांक-11-11-2021 द्वारा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2. उल्लेखनीय है कि संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग द्वारा निर्गत किये गये शासनादेशों में मा0 जनप्रतिनिधियों के प्रति शिष्टाचार/ अनुमन्य प्रोटोकाल का अनुपालन किये जाने के साथ साथ यह भी निर्देश दिये गये हैं कि समस्त अधिकारीगण मा0 जनप्रतिनिधियों के फोन आने पर उनका कॉल रिसीव (Receive) करेंगें तथा बैठक में होने/ अनुपलब्ध होने की दशा में कॉल की जानकारी होने के उपरान्त प्राथमिकता पर मा0 जनप्रतिनिधि को कॉल बैक करेंगें। शासन द्वारा शासकीय कार्य के त्वरित निस्तारण हेतु सी0यू0जी0 (CUG) फोन की सुविधा भी उपलब्ध करायी गयी है।

3. शासन के संज्ञान में आया है कि संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग के विभिन्न शासनादेशों द्वारा दिये गये स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भी कतिपय अधिकारियों द्वारा उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

कृ0पृ0-2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. अस्तु इस सम्बन्ध में पुन: आपकों निर्देशित किया जाता है कि कृपया स्वयं तथा अपने नियंत्रणाधीन कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित करें कि वे संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग के स्तर से निर्गत विभिन्न शासनादेशों के अनुपालन में मा0 संसद सदस्य एवं राज्य विधान मण्डल के मा0 सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन का अनुपालन प्रत्येक दशा में किया जाना सुनिश्चित करेंगे। आप स्वयं एवं सभी अधिकारीगण मा0 जनप्रतिनिधियों के फोन आने पर तत्काल उनका कॉल **रिसीव (Receive)** करेंगें तथा बैठक में होने/ अनुपलब्ध होने पर कॉल की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल सम्बन्धित जनप्रतिनिधि को कॉल बैक करेंगे।

5. कृपया इस शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

भवदीय,

दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव।

संख्या-02/2022/539(1)/90-सं0शि0प0का0/2022-02(सं0शि0)/2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
2- निजी सचिव, मा0 संसदीय कार्य मंत्री, उ0प्र0।
3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश ।
4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
5- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6- विशेष सचिव, विधान सभा समिति (सामान्य) अनुभाग-3
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

जे0पी0सिंह-II
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in